प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील पटेल पुत्र श्री रघुनाथ पटेल, निवासी जनपद-बलिया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3197/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-25-01-2023) दिनांक-02-02-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील पटेल पुत्र श्री रघुनाथ पटेल, ग्राम-रामपुर, थाना-रेवती, जनपद-बलिया का निवासी है। दिनांक 10-01-2006 को बन्दी अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुमारी खुशबू उम्र 12 वर्ष के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-233/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302,363,376(जी),201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-03 बलिया के आदेश दिनांक 12-05-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.10.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, दोनो पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा, समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रट, बलिया द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त बताते हुये, बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी सुशील पटेल पुत्र श्री रघुनाथ पटेल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 10-01-2006 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुमारी खुशबू उम्र 12 वर्ष के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुशील पटेल पुत्र श्री रघुनाथ पटेल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील पटेल (बन्दी संख्या-441/2022) पुत्र श्री रघुनाथ पटेल, निवासी जनपद-बलिया को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-163/2024/1111(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2- अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित (क्रि0) अपील सं0-3881/2009 सुशील पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश 26-07-2023 एवं 10-04-2024 एवं क्रिमि0 अपील सं0-3099/2009 बृजेश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-04-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या-163/2024/1111/22-2-2023-17(430)/2023**

**दिनांक 26 सितम्बर 2024 का संलग्नक**

**सरकार के आदेश**

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील पटेल पुत्र श्री रघुनाथ पटेल, ग्राम-रामपुर, थाना-रेवती, जनपद-बलिया का निवासी है। दिनांक 10-01-2006 को बन्दी अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुमारी खुशबू उम्र 12 वर्ष के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-233/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302,363,376(जी),201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-03 बलिया के आदेश दिनांक 12-05-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.10.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 01 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, दोनो पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा, समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रट, बलिया द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त बताते हुये, बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी सुशील पटेल पुत्र श्री रघुनाथ पटेल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 10-01-2006 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुमारी खुशबू उम्र 12 वर्ष के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुशील पटेल पुत्र श्री रघुनाथ पटेल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।